ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **प्रस्तावना:-**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का **प्रथम** अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रतन चंद	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री अशोक राज	01.04.2022 से 12.04.2023
2	श्री ओम प्रकाश	12.04.2023 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विकाश ठाकुर	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राज देव	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखों अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4 (4)	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.11
2	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	65.06
3	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.05
4	8.1	खनन सामग्री से रॉयल्टी की वसूली सुनिश्चित न करना	0.89
5	8.2	संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.42
6	9.1	मनरेगा शीर्ष से सामग्री हेतु अधिक व गलत भुगतान करना	0.02
7	9.2	पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण अधिक एवं गलत भुगतान करना	0.02
8	9.3	क्रय की गई सामग्री का माप पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	0.52
9	9.4	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	4.01
10	9.5	सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने की प्रविष्टियाँ सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करने बारे।	1.23

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 29.06.2024 से 05.07.2024 तक ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, के कार्यालय में किया गया | आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	08/2022
2023-24	03/2024	03/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है / पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आंका गया | अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 183/2024 दिनांक 03/07/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, हमीरपुर, DDO NO -

KAA 188675 दिनांक 06.07.2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 98/2024 दिनांक 28.05.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान छ: (6) रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत (Offline), अनुदान (प्लानिंग)(Offline), स्वच्छ भारत मिशन (Offline), 14वें वित्तायोग (Offline), 15वें वित्तायोग (Online) व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था।

(1)(क) स्व: स्त्रोत:-

ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक की स्वयं स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	1225262.00	227623.00	1452885.00	105987.00	1346898.00
2023-24	1346898.00	243199.00	1590097.00	120680.00	**1469417.00**

(ख) अनुदान :-

ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	4397340.98	6398094.35	10795435.33	5137491.21	5657944.12
2023-24	5657944.12	4481791.75	10139735.87	3633787.75	**6505948.12**

(ग) संकलित वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (2+3) (₹)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (4-5) (₹)**
1	2	3	4	5	7
2022-23	5622602.98	6625717.35	12248320.33	5243478.21	7004842.12
2023-24	7004842.12	4724990.75	11729832.87	3754467.75	**7975365.12**

(2) दिनांक 31.03.24 को ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**खाता नाम**	**खाता नंबर**	**राशि (₹)**
1	स्वयं स्त्रोत	KCC HAMIRPUR	20005082978	1464503.00
2	अनुदान (प्लानिंग)	PNB HAMIRPUR	8700000100013428	3614.78
3	अनुदान (प्लानिंग)	KCC HAMIRPUR	20005024438	2404247.00
4	स्वच्छ भारत मिशन	PNB HAMIRPUR	8700000100009443	0.00
5	14वां वित्तायोग	PNB HAMIRPUR	211000109258560	17358.34
6	15वां वित्तायोग	ICICI HAMIRPUR	50201000681	4074518.00
		योग		**7964241.12**
हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)				158.00
		योग (1+2)		**7964399.12**

(3) बैंक समाधान विवरणी :-

1)	स्व: स्त्रोत –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**क**" का अंतिम शेष	1469417.00
2)	अनुदान –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**ख**" का अंतिम शेष	6505948.12
3)	दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खता "**क" व "ख**" का कुल अंतिम शेष (1+2)	7975365.12
4)	दिनांक 31.03.24 को पंचायत के बैंक खातों / पैरा 4(2) के अनुसार खाता "**क" व "ख**" का कुल अंतिम शेष	7964241.12
5)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	158.00
6)	योग (4+5)	7964399.12
7)	**अन्तर (3-6)**	**10966.00**

(4) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंत शेष में ₹0.11 लाख का अंतर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.24 को स्व: स्त्रोत व अनुदान(प्लानिग) शीर्ष की रोकड़ बही एवं बैंक के अंतिम शेष में निम्न विवरणानुसार राशि ₹10966/- का अन्तर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है।

क्रम संख्या	रोकड़ बही का नाम	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष	दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष	अन्तर (₹)
1	स्व: स्त्रोत	1469417.00	1464661.00	4756 (बैंक में कम)
2	अनुदान (प्लानिग)	2414071.78	2407861.78	6210 (रोकड़ बही में कम)
कुल अंतर				**10966/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 174/2024 दिनांक 02/07/2024 के प्रत्युत्तर में उक्त अंतर की राशि बारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या 03 दिनांक 05/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर राशि की जांच करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार अंतर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(5) लेखा खाता /खाता बही (Account Ledgers) तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय-व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थीं | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 167/2024 दिनांक 29.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 01 दिनांक 05.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही को आगामी वित्त वर्ष से संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्व:-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 167/2024 दिनाँक 29.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 01 दिनांक 05/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था।

अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹65.06 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 167/2024 दिनांक 29.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट"क")** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹6505948.12** की राशि उपयोग हेतू शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 167/2024 दिनाँक 29.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 01 दिनाँक 05.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस

विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है |

इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 167/2024 दिनाँक 29.06.2024 के प्रतिउत्तर की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 01 दिनाँक 05.07.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे |

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति अंकेक्षणार्थ उपलब्ध करवाना आवश्यक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 167/2024 दिनाँक 29.06.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है, क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता |

अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं इन्हें उद्देश्य/कार्य विशेष हेतु ही व्यय किया गया था अथवा नहीं।

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष :-

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 167/2024 दिनांक 29.06.2024 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में **सलंग्न (परिशिष्ट "ख")** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान गृहकर की देय राशि की पूरी वसूली कर ली गई थी।

अतः 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व/ गृहकर की कोई भी देय राशि शेष नहीं थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**परिवार**	**गृहकर वार्षिक दर (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2022-23	0	819	100	81900	81900	81900	0
2023-24	0	861	100	86100	86100	86100	**0**

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.05 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में नियमानुसार प्राप्त राशि को हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि **₹5000**/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिसका विवरण सलंग्न (**परिशिष्ट "ग")** में दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 172/2024 दिनांक 29.06.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03 दिनांक 05/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त सम्पूर्ण राशि को उक्त नियम प्रावधानानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसे शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता के बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप राशि ₹0.89 लाख के राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा|

अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 08/2022 व 03/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए| परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **(परिशिष्ट "घ")** अनुसार राशि **₹89032.90/-** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 175/2024 दिनांक 02/07/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03 दिनांक 05/07/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा| उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था|

अत: राशि **₹89032.90** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभागीय प्राधिकारी से सम्पर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.42 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अन्तर्गत ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति हेतु **सलंग्न (परिशिष्ट "ङ")** अनुसार राशि **₹2097889.37/-** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि **₹41957.79/-** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 176/2024 दिनांक 02/07/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03 दिनांक 05/07/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित राशि **₹41957.79/-** जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती बिलों में से नहीं की गई

है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए, अथवा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी हेतु निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार The amount of material component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula :

Actual unskilled labour cost × 2/3 = Material Cost की अवहेलना करते हुए निम्न विवरणानुसार **₹1741/-** का अधिक भुगतान किया गया था :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि	ग्राम पंचायत द्वारा जारी सामग्री	सामग्री पर व्यय राशि (₹)	लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि (₹)	लाभार्थी को अधिक भुगतान (₹)
1	C/o Cattle shed Ashok Kumar s/o Ramesh Chand vill- Nadiana	मस्ट्रोल संख्या - (2799,54,156,746) (13780+14635+8154+2090) =38659 x 2/3 =25772	Iron,	26000	25772	228
2	c/o R/top water harvesting tank	मस्ट्रोल संख्या (3079,55,251,472)	Sand, aggrigat	24700	23905	795

	Kuldeep Singh S/O Budhi Singh vill-Nadiana Sadiana	(11660+11708+10190+2299) =35857x 2/3 =23905	iron			
3	C/O protection wall near the house of Ashok Kumar S/O Dhyan Singh Vill Lakui	मस्ट्रोल संख्या (853,977) (7945+19862) =27807x 2/3 =18538	Sand, aggrigat	19256	18538	718
	योग					**1741**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 183/2024 दिनांक 03/07/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03 दिनांक 05/07/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्य के अधिक भुगतान राशि **₹1741/-** के भुगतान की वसूली सम्बंधित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्यों की राशि ₹1741/- के किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जाँच एवं सत्यापन सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.02 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान करने बारे :-

Himachal Pradesh public work department under rules 2.1.2.13 Coarse and fine aggregates supplied at site of works shall be paid for in cubic metres and actual volume of the aggregates to be paid for shall be computed after deducting the 12.5 percentage from the volume computed by stack measurements.

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित माह 08/22 व 03/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों (stones) की खरीद हेतु **निम्न विवरणानुसार** राशि **₹15225/-** का कुल भुगतान किया गया था, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियां (Voides) की कटौती न करने के कारण राशि **₹1903.13** का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था :-

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 182/2024 दिनांक 03.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र 03 दिनांक 05/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि नियमों से अनभिज्ञ होने के कारण उक्त अनियमितता हुई है। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)	कटौती दर %	रिक्तियां (Voids)(₹)
1	15FC	C/O path of Hanumaan chowk vill Dulehra	14	491 07/22	Avnish Shama, Vill Paddar, Hamirpur	Bolder	10005	12.5	**1250.62**
2	15FC	C/O sampark marg DAV to Jaswant Singh house	19	498 08/22	Avnish Shama, Vill Paddar, Hamirpur	Bolder	5220	12.5	**652.50**
Total							**15225**		**1903.13**

अत: पत्थरों की खरीद में voids की 12.5% की कटौती न करने के कारण किये गये राशि **₹1903.13** के अधिक भुगतान का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि की वसूली उचित स्रोत से करनी सुनिश्चित की जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

9.3 राशि ₹0.52 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मास 08/2022 व 03/2024 में (**सलंग्न परिशिष्ट "च") अनुसार** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत नियमों के विरुद्ध राशि ₹51678/- का भुगतान किया गया था।

जिससे सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 181/2024 दिनांक 03/07/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। सचिव द्वारा पत्र 03 दिनांक 05/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं को सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा, जोकि नियमों की अवहेलना के दृष्टिगत अनियमित एवं संदेहास्पद है।

अत: नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी |

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

9.4 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.01 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं |

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत **सलंग्न (परिशिष्ट "छ")** अनुसार पंचायत द्वारा राशि **₹400612/-** की सामग्री का क्रय निविदाएँ (Quotations) आमंत्रित किए बिना अर्थात बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है |

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 179/2024 दिनांक 03.07.24 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03 दिनांक 05/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि अंकेक्षण में दिए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना आगामी समय में कर ली जाएगी । प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है |

अत: औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में नियमानुसार ही स्टोर / स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

9.5 राशि ₹1.23 लाख सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने की प्रविष्टियाँ सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, सकर्म, कराधान और भते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार सचिव द्वारा स्टोर सामान के प्राप्ति पर उसका यथास्थिति परीक्षण, गणना, माप या तोल कर तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 दौरान चयनित माह 08/2022 व 03/2024 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतू क्रय किए गए सामान के बिलों के अंकेक्षण पर पाया गया कि **सलंग्न (परिशिष्ट "ज") राशि ₹122762/-** की सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने प्रविष्टियाँ , सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज नहीं थीं। फलस्वरूप किसी भी स्तर पर सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 180/2024 दिनांक 03/07/2024 द्वारा यह प्रकरण सचिव, के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03 दिनांक 05/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में करके अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि क्रय किए गए सामान का स्टॉक इन्द्राज न करना एक गम्भीर अनियमितता है |

अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख नियमानुसार तैयार करके सत्यापनार्थ अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाये |

9.6 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधार व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फ़ार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करा लिया गया था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 167/2024 दिनांक 29.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ हेतु अनुरोध किया गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया, जोकि स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9.7 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/ जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप "4" के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में रखे।

ग्राम पंचायत द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किसी भी स्तर पर इनके दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः वांछित रसीद स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 एवं हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम-34 के अंतर्गत रजिस्टरों/अभिलेखों को बनाया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 168/2024 दिनांक 29.06.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की माँग की, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 02 दिनांक 05.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत

द्वारा इन रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है जिससे स्पष्ट है कि पंचायत की लेखांकन प्रक्रिया पूर्ण एवं पारदर्शी नहीं है, जिसके चलते किसी भी स्तर पर सामग्री एवं धन के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
3	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
5	स्थाई एवं अस्थाई स्टोर/ स्टॉक भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
7	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
8	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
9	मस्ट्रोल स्टॉक/ निर्गम रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना	--	102

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के स्टोर / स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 167/2024 दिनांक 29.06.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में पत्र संख्या 01 दिनांक 05/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि

अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है।

अतः इस सन्दर्भ में पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है|

13 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620046

का0/प्रति

45543-45547 13 SEP 2024

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)117/2024 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09
प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बस्सी झनियारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620046

का0/प्रति

Annaxure 'क' पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत - बस्सी-झनियारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

स्वयं स्त्रोत :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	1225262.00	227623.00	1452885.00	105987.00	1346898.00
2	2023-24	1346898.00	243199.00	1590097.00	120680.00	**1469417.00**

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	4397340.98	6398094.35	10795435.33	5137491.21	5657944.12
2	2023-24	5657944.12	4481791.75	10139735.87	3633787.75	**6505948.12**

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	5622602.98	6625717.35	12248320.33	5243478.21	7004842.12
2	2023-24	7004842.12	4724990.75	11729832.87	3754467.75	**7975365.12**

Gram Panchayat Bassi Jhaniara
Development Block Hamirpur (H.P.)

ग्राम पंचायत-बस्सी-झनियारा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश						
अनुदान (प्लानिंग)(Offline) शीर्ष की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1150458.78	1974102	3124560.78	1434122	1690438.78
2	2023-24	1690438.78	2310628	4001066.78	1586995	**2414071.78**

स्वच्छ भारत मिशन (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	832.86	200907.86	201740.72	201740.72	0.00
2	2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**

14वें वित्तायोग(Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	375633.34	6813.00	382446.34	314426.00	68020.34
2	2023-24	68020.34	1625.00	69645.34	52287.00	**17358.34**

15वें वित्तायोग (Online)की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2870416.00	1778754.00	4649170.00	749685.00	3899485.00
2	2023-24	3899485.00	1037390.00	4936875.00	862357.00	**4074518.00**

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	2437517.49	2437517.49	2437517.49	0.00
2	2023-24	0.00	1132148.75	1132148.75	1132148.75	**0.00**

Annaxure 'ख' पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, विकास खंड हमीरपुर , जिला हमीरपुर							
दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	819	100	81900	81900	81900	0
2023-24	0	861	100	86100	86100	86100	**0**

Secretary
Gram Panchayat Bassi Jhaniara
Development Block Hamirpur (H.P.)

Annaxure ग पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

(विवाह पंजीकरण सूचि) (01.04.2022 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशी (₹)
1	शिवानी ठाकुर पुत्री होशियार सिंह गाँव छल बुहला	19/04/2022	26/04/2022	129137 Dt.26/04/2022	200.00	200.00	0
2	अमित कुमार पुत्र कश्मीर सिंह गाँव रियालारी	21/04/2022	02/05/2022	129141Dt.02/05/2022	200.00	200.00	0
3	गौरव डोगरा पुत्र सुरेश कुमार गाँव रकड़ीआल	20/04/2022	07/05/2022	129145 Dt.07/05/2022	200.00	200.00	0
4	रजत कुमार पुत्र संतोष कुमार गाँव खेंडा	27/04/2022	11/05/2022	129147Dt.11/05/2022	200.00	200.00	0
5	रवि कटोच पुत्र बलजीत सिंह गाँव दुगनेहरा	20/04/2022	13/05/2022	129148 Dt.13/05/2022	200.00	200.00	0
6	अभिषेक पुत्र शमशेर सिंह गाँव रकड़ीआल	04/05/2022	17/05/2022	129149Dt.17/05/2022	200.00	200.00	0
7	रोहित ठाकुर पुत्र राकेश कुमार गाँव चुन्हाल	10/05/2022	24/05/2022	129150Dt.24/05/2022	200.00	200.00	0
8	अमन कुमार पुत्र सुरेश कुमार गाँव चुन्हाल	02/05/2022	31/05/2022	129152 Dt.31/05/2022	200.00	200.00	0
9	अजय कुमार पुत्र जसवंत सिंह गाँव चुन्हाल	20/01/2022	12/07/2022	129155 Dt.12/07/2022	400.00	400.00	0
10	अजय अत्री पुत्र शुभाष चन्द गाँव घराहट	08/07/2022	20/07/2022	129157dt.20/07/2022	200.00	200.00	0
11	दिनेश कुमार पुत्र ब्रहम चन्द गाँव मौहन	30/07/2022	14/09/2022	129167 Dt.14/09/2022	400.00	400.00	0
12	निधि ठाकुर पुत्री कश्मीर सिंह गाँव डिब्ब	26/09/2022	30/09/2022	129173Dt.30/09/2022	200.00	200.00	0
13	सुषमा कुमारी पुत्री सुरेश कुमार गाँव लकुई	26/09/2022	04/10/2022	129174Dt.04/10/2022	200.00	200.00	0
14	राहुल पुत्र रमेश चन्द गाँव रकड़ीआल	26/09/2022	18/10/2022	129176Dt.18/10/2022	200.00	200.00	0
15	विनय कुमार पुत्र देश राज गाँव नडयाणा सडियाना	26/09/2022	20/10/2022	129177Dt.20/10/2022	200.00	200.00	0
16	शिवानी पुत्री सुभाष चन्द गाँव दुनेहरा	08/12/2022	12/12/2022	129183Dt.12/12/2022	200.00	200.00	0
17	दीपक पूरी पुत्र अश्वनी कुमार गाँव खेंडा	29/11/2022	13/12/2022	129184Dt.13/12/2022	200.00	200.00	0
18	अंकुश ठाकुर पुत्र जगदेव चन्द गाँव खेंडा	30/01/2023	06/02/2023	129189Dt.08/02/2023	200.00	200.00	0
19	विशाल ठाकुर पुत्र केसर सिंह गाँव नडयान सडियान	02/12/2022	08/02/2023	129190Dt.08/02/2023	200.00	200.00	0
20	सतीश कुमार पुत्र अमर सिंह गाँव अधवानी	13/03/2023	29/03/2023	129193Dt.29/03/2023	200.00	200.00	0
21	अभिषेक भरद्वाज पुत्र अजीत सिंह गाँव चुन्हाल	08/03/2023	06/04/2023	129197Dt.06/04/2023	200.00	200.00	0
22	शिव कुमार पुत्र तरसेम लाल गाँव रकडयाल	16/02/2023	02/05/2023	594496Dt.02/05/2023	400.00	400.00	0
	कुल योग				**5000.00**	**5000.00**	**0**

Annaxure 'च' पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर
रॉयल्टी की वसूली न करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 08/22 और 03/24)

Ser No	Scheme	Voucher No	Name Of Work	Bill no and Date	Name of Vendor	Material Items	Quantity (cum)	Conversion Factor	Qty (Mt)	Rate per tonne (₹)	Total (₹)
1	MGNREGA	0	C/O Protection Wall / Boundry wall in Playground KVH Hamirpur Village Chunaal (Conver. with	521 Dt: 25-08-2022	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	17	1.52	25.84	80	2067.20
						Sand	11.32	1.62	18.3384	80	1467.07
2	MGNREGA	0	C/O Pully Near the House of Madan Lal Vill.Riyalri (1303004132/RC/8000097864)	620 Dt: 26-10-2022	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	10.8	1.52	16.416	80	1313.28
						Sand	5.5	1.62	8.91	80	712.80
						Boluders	8.2	2.24	18.368	80	1469.44
5	MGNREGA	0	C/O R/Top Water Harvesting Tank of Ashok Kumar S/O Dhyan Chand Village Lakui (1303004132/WC/8000102506)	519 Dt: 25-08-2022	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	10.38	1.52	15.7776	80	1262.21
						Sand	7	1.62	11.34	80	907.20
6	MGNREGA	0	C/O R/Top Water Harvesting Tank of Rajeev Kumar S/O Hakam Chand Village Chall Buhla (1303004132/WC/8000102509)	663 Dt 16-03-2023	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	12.55	1.52	19.076	80	1526.08
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.54
9	MGNREGA	0	C/O S.Marg & P/Wall from Main road N/Rangria towards new proposed Panchyat Ghar (Conv.under MMRRRS)	385	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	5.65	1.52	8.588	80	687.04
						Sand	3.26	1.62	5.2812	80	422.50
						Boulders	7.87	2.24	17.6288	80	1410.30
10	MGNREGA	0	C/O S.Marg from Kuljeet house to Vill.Kohlri with paver	420	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	24	1.52	36.48	80	2918.40
						Sand	10	1.62	16.2	80	1296.00
						Boulders	22	2.24	49.28	80	3942.40
11	MGNREGA	0	C/O R/Top Water Harvesting Tank of Hardei W/O Kesar Singh Vill.Chall Buhla (1303004132/WC/32096272)	386	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	12	1.52	18.24	80	1459.20
						Sand	3	1.62	4.86	80	388.80
13	MGNREGA	0	C/O S.Marg Main Road towards proposed Panchayat Community Bhawan	906 Dated	Raj Stone	Aggregates	24	1.52	36.48	80	2918.40

Secretary
Gram Panchayat Bassi Jhaniara
Development Block Hamirpur (H.P.)

23

			Vill.Chunaal (Convergence 15thFC) (1303004132/RC/8000158727)	15-06-2023	crusher	Sand	12	1.62	19.44	80	1555.20
15	MGNREGA	0	C/O S.Marg from Community Bhawan N.Sadiana to Tasslu Nala Vill.N.Sadiana (1303004132/RC/8000138589)	626	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	26.9	1.52	40.888	80	3271.04
						Sand	13.9	1.62	22.518	80	1801.44
						Bulders	20.8	2.24	46.592	80	3727.36
16	MGNREGA	0	C/O Protection Wall for Ambulance Road Vill.Chall Buhla (1303004132/RC/8000143462)	627 Dt. 14-12-2022	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	26	1.52	39.52	80	3161.60
						Sand	13.8	1.62	22.356	80	1788.48
17	MGNREGA	0	R/O Bauri in Village Khenda (1303004132/WH/32044188)	629 Dt14-12-2022	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	6.1	1.52	9.272	80	741.76
						Sand	3.9	1.62	6.318	80	505.44
18	GIA(Planning)	4	C/O Sampark Marg and P wall from main road Nadiana Rangariyan towrads new prposed panchayat ghar	430 Dt 02-03-2022	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	11	1.52	16.72	80	1337.60
						sand	6	1.62	9.72	80	777.60
19	GIA(Planning)	5	C/O (Construction of) GREEN ROOM AND COMPLETION OF SCHOOL STAGE IN KVH HAMIRPUR VILLAGE CHUNNAL	431 Dt: 2-04-2022	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	6	1.52	9.12	80	729.60
						sand	6	1.62	9.72	80	777.60
						Boulder	12	2.24	26.88	80	2150.40
20	GIA(Planning)	54	C/O (Construction of) RAIN SHELTER ALONGWITH COURTYARD NEAR SHAMSHAN GHAT VILLAGE GHARRAT	768 Dt: 15-01-2024	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	22.7	1.52	34.504	80	2760.32
						Sand	11.32	1.62	18.3384	80	1467.07
21	GIA(Planning)	64	C/O (Construction of) C/O SAMPARK MARG, PATH WITH RW NEAR ASHOK KUMAR HOUSE TOWARDS VILL ADHWANI	782 Dt: 16-01-2024	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	14.6	1.52	22.192	80	1775.36
						Sand	7.7	1.62	12.474	80	997.92
22	GIA(Planning)	55	C/O Samark Marg and Culvert from new proposed panchayat ghar Towards Nadiana Rangariyan	766 Dt: 15-01-2024	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	5.5	1.52	8.36	80	668.80
						Sand	2.75	1.62	4.455	80	356.40
23	GIA(Planning)	61	C/O (Construction of) CRIMATION VILLAGE GHARRAT	767 Dt: 16-01-2024	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	11	1.52	16.72	80	1337.60
						Sand	6	1.62	9.72	80	777.60
26	15th FC	41	C/O SAMPARG MARG DAV CHOWNK TO JASWANT SINGH HOUSE VILLAGE RAKDIYAL	611 Dt: 15-08-2022	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	3.4	1.52	5.168	80	413.44
						Sand	5.6	1.62	9.072	80	725.76
						Boulder	2.5	2.24	5.6	80	448.00

Gram Panchayat Bassi Jhaniara
Development Block Hamirpur (H.P.)

26	15th FC	13	C/O Sampark Marg Rajesh Chadda House Village Chall Bulha	686 Dt: 09-2022	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	17	1.52	25.84	80	2067.20
						Sand	6.3	1.62	10.206	80	816.48
						Boulders	12	2.24	26.88	80	2150.40
27	15FC	42	C/O Drain Soakpit for Dirty Water Rakesh Kumar, Shekhar Vikram Etc. House Village Chall Bulha	770 Dt: 05-02-2024	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	11.32	1.52	17.2064	80	1376.51
						Sand	6	1.62	9.72	80	777.60
28	15th FC	45	C/O (Construction of) Ambulance Road Road from H/O Kaku towards Madan Lal House Village Rialari	781 Dt: 08-02-2024	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	8.2	1.52	12.464	80	997.12
						Sand	4.1	1.62	6.642	80	531.36
29	15th FC	46	C/O (Construction of) C/0 Protection Wall at roadside near purushottam Chand House Village Rialari	780 Dt: 05-02-2024	Avnish Shama Hamirpur	Aggregates	8.2	1.52	12.464	80	997.12
						Sand	4.3	1.62	6.966	80	557.28
										योग	**71226.32**
										पेनल्टी 25%	**17806.58**
										कुल योग	**89032.90**

Panchayat Secretary Development Block Hamirpur (H.P.)

(27)

Annaxure 'ङ' पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

(GST/TDS) की वसूली न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	चयनित माह	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती योग्य राशि (₹)
1	01.04.2022 to 31.03.2023	Avnish shama, Hamirpur	AGGRI,SAND, Boulder	1490650.54	1490650.54	29813.01
2	01.04.2022 to 31.03.2023	sri Krishana Enterprises, Hamirpur	Tiles,stone	279593.83	279593.83	5591.88
3	01.04.2022 to 31.03.2023	Vikash Trading Company, Hamirpur	iron, sheets	327645	327645	6552.90
Total				**2097889.37**	**2097889.37**	**41957.79**

Secretary
Gram Panchayat Bassi Jhaniara
Development Block Hamirpur

Annaxure 'च' पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	c/o green room stage kvs hamirpur	56	930	hpscs corporatin ltd	cement	18078
2	GIA (Planning)	c/o green room stage kvs hamirpur	65	779 03/24	avnish shama, hamirur	Bricks	33600
				Total			**51678**

Secretary
Gram Panchayat Bassi Jhaniara
Development Block Hamirpur (H.P.)

Annaxure 'ब्ल' पैरा संख्या 9.4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर
औपचारिकताएं पूर्ण किए विना किया गया क्रय (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 08/22 और 03/24)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	c/o wall till archna devi house	49	9 07/22	Hoshiyar singh vill chhal bulha, hamirpur	satring	3400
2	GIA (Planning)	c/o green room and school stage kvm vill chunhaal	50	1013 08/22	shiv ganpati, anu, hamirpur	Tiles	63620
4	GIA (Planning)	c/o road towards proposed new panchayat ghar	53	26,37 05/22	gian chand, vill nadiana, hamirpur	carriage and water	7188
5	GIA (Planning)	c/o toilet of aangan badi kendra, ladiana	55	10 07/22	m/s angel welding work, vill nadiana hamirpur	iron	4150
6	GIA (Planning)	c/o toilet of aangan badi kendra, ladiana	56	3462 07/22	roop trading co, hamirpur	iron	11894
7	GIA (Planning)	c/o toilet of aangan badi kendra, ladiana	59	497 08/22	avnish shama, vill paddar, hamirpur	bricks	7650
8	14FC	purchase of RCC banches for GP Bassi jhaniyara	4	47 07/22	sri krishana enterprises vpo kot	benches	169000
9	15FC	c/o path of hanumaan chowk vill dulehra	14	491 07/22	avnish shama, vill paddar, hamirpur	sand, aggrigate, boulder	38454
10	15FC	c/o sampark marg main road to proposed panchayat ghar community center	16	69,129 06/22	Blue star enterprises, dossadka	jcb work	52300
11	15FC	c/o sampark marg DAV to jaswant singh house	21	58 08/22	sri krishana enterprises vpo kot	pavere tiles	42956
Total							400612

Secretary
Gram Panchayat Bassi Jhaniara
Development Block Hamirpur (H.P.)

ANNAXURE - 'ज' पैरा संख्या 9.5 में समाहित

ग्राम पंचायत बस्सी-झनियारा, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी दर्ज न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)
(चयनित माह 08/22 और 03/24)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	furniture for shiv mahila mandal khendaa	43	S1782005/08 08/05	the kutheda cooperative society	chairs	36000.00
2	GIA (Planning)	c/o green room and school stage kvm vill chunhaal	50	1013 08/22	shiv ganpati, anu, hamirpur	Tiles	63620.00
3	GIA (Planning)	c/o toilet of aangan badi kendra, ladiana	56	3462 07/22	roop trading co, hamirpur	iron	11894.00
4	15FC	r/o boudi chunaal	22	563 08/22	Avnish shama, Paddar, hamirpur	sand, aggrigate	11248.00
Total							**122762.00**

Secretary
Gram Panchayat Bassi Jhaniara
Development Block Hamirpur (H.P.)

31